

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - रिच्यू 1039-दो/01

जिला - ~~ग्वालियर~~

अध्यक्ष  
दि-मद्र

अभिलेख क्रमांक

पहले  
द्वितीय  
तृतीय


1c

प्रकरण का अन्वलीकन किया यह पुनरावलोकन पर  
पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक निम्न 1861-दा/06 का पारित आदेश  
दिनांक 17-2-10 के विरुद्ध मद्र-राजस्व सहित, 1959 जिसे  
आगे संहिता कहा जायेगा की प्रायः 51 के तहत प्रस्तुत किया गया  
है।

2- उभयपक्षों के विद्वान् अभिलेखाओं द्वारा प्रस्तुत कर्तव्य पर विचार  
किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित तर्कों  
आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा  
सकता है :-

- 1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का प्रतिलिपि उपलब्ध न होना  
जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्काल के पत्र-व्यवहार  
भी नहीं मिल पाई थी
- 2- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती
- 3- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया  
उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों से कोई आधार विद्यमान होना  
नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई तर्क नहीं  
होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष  
सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

  
(एम. व. सिंह)  
स. स. स.

राजस्व मंडल, मद्र, ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

/2010 जिला अशोकनगर

रिज 1039-II/10

क.क.नं० 16261 - एस्तार  
22-7-10  
297

बीना पॉवर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड बीना,  
द्वारा ए.के. तिवारी, जनरल मैनेजर,  
निवासी बीना जिला सागर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-- अनावेदक